

नगर पालिका परिषद, देवरिया

प्रपत्र-'क'

सम्पत्ति कर स्वः - निर्धारण प्रपत्र

- क (एक) स्वामी/अध्यासी का नाम.....
- (दो) स्वामी/अध्यासी के पिता का नाम.....
- (तीन) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या.....
- (चार) भवन/भूखण्ड की अवस्थिति का पता.....
- (पाँच) स्वामी/अध्यासी का अस्थायी पता.....
- (छ:) स्वामी/अध्यासी का स्थायी पता.....
- ख निम्नलिखित का भवन सम्बन्धी व्यौरा.....
- (एक) समस्त कमरों और आच्छादित बारामदों.....
का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में)
- (दो) समस्त बालकनी, कारीडर, रसोई और.....
भण्डार गृह का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में)
- (तीन) समस्त गैराज का आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में)

टिप्पणी :- स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्र कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा ।

ग भवन का कारपेट एरिया (वर्ग फुट) :-

$$= \text{ख} (\text{एक}) + 1/2 \text{ ख} (\text{दो}) + 1/4 \text{ ख} (\text{तीन}) \text{ वर्ग फीट}$$

घ (एक) भूमि का क्षेत्रफल, यदि उस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में).....

(दो) भूमि का क्षेत्रफल, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो (वर्ग फुट में).....

इ (क) भवन अवस्थित है

(i) 24 फुट से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर

(ii) 12 फुट से 24 फुट की चौड़ाई वाले मार्ग पर

(iii) 12 फुट से कम वाले मार्ग पर

(ख) भवन के निर्माण की प्रकृति

(i) पक्का, भवन, आर.सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित

(ii) अन्य पक्का भवन

(iii) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और दो में आच्छादित नहीं है ।

(ग)

भूमि (यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं है) अवस्थिति है ।

(i) 24 फुट से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर (ii) 12 फुट से 24 फुट तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर (iii) 12 फुट से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

टिप्पणी :-

कृपया उपर्युक्त (एक), (दो) या (तीन) के खाने में जो भी सही हो उसमें सही का निशान लगायें
भवन स्वामी द्वारा अद्यासित है या किराये पर है । कृपया उनमें से किसी एक का उल्लेख करें ।
भवन के निर्माण का वर्ष.....

च ज (एक)

अधिशासी अधिकारी द्वारा भवन के लिए निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक, दर रूपये.....प्रति वर्ग फुट ।

(दो)

अधिशासी अधिकारी द्वारा भूमि के लिए निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो रूपये.....प्रति वर्ग फुट ।

झ (एक)

भवन का वार्षिक मूल्य = $12 \times$ अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर \times भवन का कारपेट एरिया = $12 \times$ ज (एक) \times ग

या

 $12 \times$ नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर \times आच्छादित क्षेत्रफल 80%

(दो)

भूमि का वार्षिक मूल्य, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो = $12 \times$ अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर \times भूमि का क्षेत्रफल = $12 \times$ ज (दो) \times घ (दो)

(एक)

स्वामी द्वारा अद्यासित होने की दशा में भवन का मूल्य धारा 140(2) क में यथा उल्लिखित छूट देने के पश्चात ।

(दो)

किराये पर होने की दशा में भवन का वार्षिक मूल्य, धारा 140(2) ख में यथा उल्लिखित वृद्धि करने के पश्चात ।

ट (i)

भवन का सामान्य कर = (यथा अवधारित वार्षिक मूल्य) \times सामान्य कर दर /100भवन का जल कर = यथा अवधारित वार्षिक मूल्य की \times जलकर दर /100

ठ

आवासीय भवन का कर निर्धारण विधि :-

(i) कुल भूमि का क्षेत्रफल- (ii) कुल निर्मित भाग का क्षेत्रफल-

(iii) खुली भूमि का क्षेत्रफल

(iv) अनावासीय भवन का वार्षिक मूल्य- भवन व भूमि का क्षेत्रफल \times अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर \times 12

सत्यापन

मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि स्वमूल्यांकन विवरण में प्रस्तुत किये गये व्यौरे जहाँ तक
मेरी जानकारी और विश्वास है, ठीक और पूर्ण है ।

दिनांक

अनुप्रमाणक साक्षी

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पिता-माता का नाम.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पिता-माता का नाम.....

कर संग्राहक

कर निरीक्षक/कर अधीक्षक

कर निर्धारण अधिकारी
नगर पालिका, देवरिया